# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 20/2022–23

## –:आदेश:–

23/02/23 अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचॉची से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचॉची के पत्रांक– 738, दिनांक– 29.12.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक काली दास, पिता– स्व0 भानु महरा, साकिम– सलानपुर, थाना– कतरास, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– कोटालडीह, मौजा नं0– 178, खाता नं0– 52, प्लॉट सं0– 692 एवं 693, क्रमशः रकवा– 02 डि0+ 1.50 डि0= कुल 3.50 डिसमील भूमि क्रेता 1. अलखी देवी, पति– स्व0 देवकी महरा उर्फ तुलसी दास, साकिम– कोटालडीह, थाना–तोपचाँची, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के चमार है तथा विक्रेता थाना– कतरास एवं क्रेता थाना– तोपचाँची, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 06 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 12:01:25 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner